DFO(T) द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए निर्धारित जाँच सूची

कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विघुत वितरण कम्पनी लिमिटेड शहडोल, जिला शहडोल द्वारा प्रस्तावित वनभूमि रकवा 1.098 हे0 का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 11.01.2018 को किया गया। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	विशेष	DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट
1.	सीमा हेक्टेयर	1.098 हे0
2.	वन भूमि के स्थान (अक्षांश, देशांस) डायवर्जन के लिए प्रस्ताव रखा।	RF281 N-23°28'15.80" E-81°12'26.60' N-23°28'5.73" E-81°12'24.87' N-23°27'45.41" E-81°12'21.80' N-23°28'12.01" E-81°12'26.81' N-23°27'52.70" E-81°12'25.21' RF285 N-23°27'45.41" E-81°12'21.80' N-23°27'34.94" E-81°12'64.00' N-23°27'37.20" E-81°12'18.06' RF283 N-23°27'34.94" E-81°12'64.00' N-23°27'29.39" E-81°11'48.53' N-23°27'29.98" E-81°11'21.73' N-23°27'32.93" E-81°11'56.43' N-23°27'31.55" E-81°11'34.92' N-23°27'31.66" E-81°11'06.12' RF284 N-23°27'29.39" E-81°11'48.53' N-23°27'29.34" E-81°11'48.53'
3.	वन भूमि (संरक्षित वन / आरक्षित वन / राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
4.	अस्थायी केन्र्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन ।	आवेदक संस्था एवं वन कर्मचारियो के साथ संयुक्त सीमांकन किया गया है।
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	निरंक
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि मे कोई अवैध कार्य नही किया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता / प्रजाति संरचना आदि.	चयन सह सुधार, कार्यवृत्त अंतर्गत वनक्षेत्र है। वर्तमान मे साइट की गुणवत्ता श्रेणी III, IVA, IVB, है। साल एवं मिश्रित प्रजाति है।
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवो की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम	मुख्य रूप से वन्यप्राणी बाघ, हिरण, सुअर, लोमडी, सियार एवं बंदर पाये जाते है।

	गणना।	
9.	वनस्पति/ पशुवर्ग या क्षेत्र मे किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	पशुवर्ग–बाघ का रहवास है, कोई अद्वितीय परिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नही है।
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने मे कामयाब रहे है तो कार्यआयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों?	पूर्व कार्य आयोजना मे चयन सह सुधार, कार्यवृत्त अंतर्गत सम्मलित है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का क्षेत्र नही है।
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/ परिवार का निर्भरता	इस वनभूमि पर किसी भी परिवारो की निर्भरता नहीं है।
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	वहाँ किसी भी पुनर्वास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है? वहाँ विस्थापित करने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश मे नही आयी।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर-वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगडी वन भूमि मे है तो वर्तमान कार्यआयोजना अनुसार विवरण गैर-वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।	कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र. पूर्व क्षेत्रा विघुत वितरण कम्पनी लिमिटेड शहडोल, जिला शहडोल द्वारा 11 के.व्ही. विघुत लाईन में प्रस्तावित वनभूमि कुल रकवा 1.098 हे0 के बदले वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नही कराई गई है। अतः वृक्षारोपण योजना तैयार नही की गई है।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। नजदीकी बांधवगढ टाइगर रिजर्व उमरिया (बफर जोन) संरक्षित क्षेत्र की दूरी 05 कि0मी0 के अंतर्गत है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	प्रस्तावित क्षेत्र मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नही दी गई है।
18.	परियोजना के पास के इलाके मे रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से उमरिया जिले के ग्राम सांस एवं चिनकी के निवासियों को विघुत की सुविधा की संभावना है।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीक़त के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नही हैं।
20.	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेस्फिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिए अनुरोध किया है, उपयोगता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाणपत्र	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम वनभूमि की उपयोगिता बावत

		प्रमाण–पत्र नही दिया गया है।
22.	वन भूमि जिसका व्यपर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वध्दि को बचाने की कोई गुंजाइश।	नही।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे ।	कुछ नहीं।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डीएफओ की विशिष्ट सिफारिशें।	कार्यपालन अभियंता (डी.आर.सी.) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विघुत वितरण कम्पनी लिमिटेड शहडोल, जिला शहडोल द्वारा 11 के. व्ही. विघुत लाईन में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक आरएफ 281, 283, 284 एवं 285 प्रस्तावित रकवा 1.098 हे0 क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कुल 438 वृक्ष है। शासन निर्देशानुसार प्रति हेक्टेयर 50 वृक्ष काटे जाने के निर्देश है, जबकि 01 हे0 में 398 वृक्ष आता है जो समानुपातिक से अधिक है। साथ ही उक्त क्षेत्र में बाघ का रहवास स्थल है, यदि आवेदित स्थल क्षेत्र में नंगी तार की लाईन डाली जाती है तो वन एवं वन्यप्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा शिकार की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इस क्षेत्र में शिकार के 03 प्रकरण पूर्व में हो चुके है। वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में अण्डरग्राउण्ड विघुत लाईन डाली जाती है तो ही एक मात्र विकल्प है, जिसकी अनुशंसा की जाती है।

स्थान - उमरिया
दिनांक -

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)

संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा

स्थान : चिनकी
दिनांक - 24-12-17

आज दिनांक 24/12/17 को हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता पंचगण पंचनामा लिखा तस्दीक करते हैं कि म०प्र० पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शहडोल द्वारा प्रेषित आवेदन ग्राम सौंस एवं चिनकी की विद्युतीकरण हेतु सौंस से चिनकी 11KV विद्युत लाईन खींची जाने वाली प्रस्तावित लाईन का संयुक्त रूप से वन विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण मे पाया गया कि प्रस्तावित सौंस - चिनकी विद्युत लाईन से RF 283 मे 1605 मी० 137 वृक्ष RF 284 मे 150 मी० 44 वृक्ष, RF 285 मे 450 मी० 98 वृक्ष एवं RF 281 मे 1455 मी० 159 वृक्ष है। प्रस्तावित विद्युत लाईन कुल 4 कक्षो मे 3660 मी० लम्बाई से गुजरेगी तथा 3 मी० चौड़ाई मे कुल 438 वृक्ष स्थापित है। प्रस्तावित लाईन पूर्व निर्मित PMGSY रोड के किनारे से खींचा जायेगा। प्रस्तावित स्थल सघन आरक्षित वन खण्ड है, जो BTR (Buffer) से लगा है। आवेदक संस्था द्वारा आवेदन मे उल्लेख किया गया है कि 11KV विद्युत लाईन AB केबल लाईन डालकर खींचा जायेगा। लाईन मे पड़ने वाले किसी भी वृक्ष को न काटा जायेगा और नही कटाई छटाई किया जायेगा। विद्युत लाईन खींचने पर वन भूमि 3660×3 = 1.098 हे० की आवश्यकता पड़ेगी।

पंचनामा मौके पर लिखा गया जिसे पढ़े सही पाये जाने पर अपना - अपना हस्ताक्षर किये है।

1 - श्री राहुल मिश्रा ACF उ०व०म० अधिकारी पाली — (हस्ताक्षर) S.D.O. pali 24-12-17

2 - श्री ए०पी० त्रिपाठी वन क्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी झुनझुटी — (हस्ताक्षर) 24/12/17 R.O. Jhunjhuti

3 - श्री राजू चौधरी AE (DDUGJY) MPPKVVCL Shahdol — (हस्ताक्षर) 24.12.17

4 - श्री अरविन्द कुमार सिंह व०र० बीट गार्ड चिनकी — (हस्ताक्षर) A.K. Singh, बीटगार्ड चिनकी

5. श्री सरमन बैगा ग्रा० पंच सरमन

पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया।

(हस्ताक्षर) V.K. Sonwani
RA Chanki

Samim//F:\DM\Copy of Let to ccf.doc